न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

धारा 22(3) कॉलोनाईजेशन एक्ट का प्रकरण संख्या 101/2024
(जीसीएमएस 2024/140)

छगनलाल पुत्र श्री सुखराम जाति स्वामी निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 89552–02852

बनाम

विमला देवी पत्नी सुखराम जाति जाट सिकिन घमण्डिया तहसील सूरतगढ़

धारा 22(3) कॉलोनाईजेशन एक्ट का प्रकरण संख्या 102/2024
(जीसीएमएस 2024/141)

छगनलाल पुत्र श्री सुखराम जाति स्वामी निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 89552–02852

बनाम

विमला देवी पत्नी सुखराम जाति जाट सिकिन घमण्डिया तहसील सूरतगढ़

धारा 22(3) कॉलोनाईजेशन एक्ट का प्रकरण संख्या 103/2024
(जीसीएमएस 2024/142)

छगनलाल पुत्र श्री सुखराम जाति स्वामी निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 89552–02852

बनाम

विमला देवी पत्नी सुखराम जाति जाट सिकिन घमण्डिया तहसील सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

धारा 22(3) कॉलोनाईजेशन एक्ट का प्रकरण संख्या 104/2024
(जीसीएमएस 2024/143)

छगनलाल पुत्र श्री सुखराम जाति स्वामी निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 89552–02852

बनाम

विमला देवी पत्नी सुखराम जाति जाट सिकिन घमण्डिया तहसील सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:20 IST
Reason: SelfAttested

23.04.2025

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारों को नोटिस जारी किये गये। उभयपक्ष के पक्षकारों को नोटिस की विधिवत् तामील के बावजूद उपस्थित नहीं हुए, उनके

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

विरूद्ध दिनांक 23.08.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। राजकीय अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह वानर उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया

प्रार्थी छगनलाल पुत्र श्री सुखराम ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि चक 1 केएसपीएम''ए'' पटवार हल्का किशनपुरा में कूटरचित दस्तावेज तत्कालीन एस.डी.एम. के समक्ष पेश कर पटवारी सोनू सहारण व एस.डी.एम. संदीप काकड़ ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए पटवारी ने अपनी माता विमला पत्नी सुखराम जाति जाट निवासी घमण्डिया के नाम यैन कैन प्रकरण से नियमों को ताक पर रखकर एक ही चक 1 केएसपीएम''ए'' के पत्थर नं. 11 / 4,11 / 5 में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नियम के विरूद्ध आवंटन किया गया है। सोनू सहारण मौजूदा हल्का पटवारी सरदारपुरा बीका ने चक 1 केएसपीएम''ए'' के मुरब्बा नम्बर 48 में 20.00 बीघा व मुरब्बा नं. 49 में 20.00 बीघा, मुरब्बा नं. 39 में 4.00 बीघा जो कि लाधूदास पुत्र मघदास के नाम से दर्ज थी। उसको पटवारी फर्जी रिपोर्ट बनवाकर तत्कालीन एस.डी.एम. संदीप काकड़ ने निरस्त कर दी और पटवारी की माता विमला देवी को कुल 44.00 बीघा पुख्ता आवंटन कूटरचित दस्तावेज लगवाकर अपने नाम करवा ली। ये दोनों अधिकारी अपनी साठ गांठ करवाकर चक 6, 7 व 8 एफ.डी.एम. पटवार हल्का सरदारगढ़ ने करीब करीब 20–25 मुरब्बे कांगड़िया हिमाचल प्रदेश के नाम आवंटन थे, उनको भी काफी लोगो के नाम को निरस्त कर अपने चहेतों व रिश्तेदारों के नाम पटवारी सोनू सहारण व एस.डी.एम. दोनों ने मिलकर अपने चहेतों के नाम दर्ज करवा ली। जिससे दोनों जगहों से भूमि का बहुत बड़ा घोटाला किया है। उक्त भूमि की बाजारू कीमत करोड़ो की है। इसकी जांच तुरन्त प्रभाव से कमेटी बनाकर पूर्व एस.डी.एम. संदीप काकड़ व पटवारी हल्का सोनू सहारण के कार्यकाल में उक्त भूमि में जो घोटाला हुआ है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 22(3) प्रकरण संख्या 101/2024 से 104/2024

श्री गुरतेज सिंह, राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने आवंटन पत्रावली संख्या 91/2023 में दिनांक 02.08.2023 से 01 बीघा भूमि स्माल पेच में अप्रार्थी विमला देवी को आवंटन कर दी, जबकि राजस्थान उपनिवेशन नियम 1975 के प्रावधानों के अनुसार आवंटन करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्तियों को सनुवाई का अवसर नहीं दिया गया, इसलिए उक्त स्माल पेच आवंटन खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने आवंटन पत्रावली संख्या 38/2024 में दिनांक 27.02.2024 से 04 बीघा भूमि स्माल पेच में अप्रार्थी विमला देवी को आवंटन कर दी। विमला देवी को आवंटन से पूर्व उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से थी, जिसे उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने आदेश क्रमांक राजस्व/03/2024/1643 दिनांक 06.02.2024 से रकबाराज किया गया और फिर दिनांक 27.02.2024 को विमला देवी को स्माल पेच के तहत आवंटन कर दी, जबकि राजस्थान उपनिवेशन नियम 1975 के प्रावधानों के अनुसार आवंटन करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर, सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया, इसलिए उक्त स्माल पेच आवंटन खारिज करने योग्य हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने आवंटन पत्रावली संख्या 41/2024 निर्णय दिनांक 27.02.2024 से 20 बीघा एवं पत्रावली संख्या 42/2024 निर्णय दिनांक 27.02.2024 से 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि को मीडियम पेच के तहत आवंटन की गई हैं। इस प्रकार आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अिधकारी, सूरतगढ़ ने अपनी दो अलग अलग पत्रावलियों से दिनांक 27.02.2024 को 50 बीघा राजकीय भूमि में से 10 बीघा भूमि को ग्रीन फिल्ड दिखाकर शेष लगभग 40 बीघा भूमि अप्रार्थी विमला देवी को मीडियम पेच के तहत आवंटित कर, राज्य सरकार को हानि पहुंचाई गई है। इसलिए आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा मीडियम पेच के तहत आवंटित उक्त लगभग 40 बीघा भूमि खारिज करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा आवंटन नियमों व प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। पटवारी सोनू सहारण ने अपनी माता विमला देवी के नाम से 5 बीघा भूमि क्रय की गई और फिर आवंटन अधिकारी से मिलीभगत कर लगभग 45 बीघा भूमि स्माल पेच/मीडियम पेच के तहत आवंटन कर दी। इस प्रकार आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ, तहसीलदार, सूरतगढ़ एवं पटवारी किशनपुरा एवं पटवारी सोनू सहारण ने मिलीभगत कर, अप्रार्थी विमला देवी (सोनू सहारण की माता) को लगभग 45 बीघा भूमि आवंटित की गई है, जिसे खारिज कर पुनः राजस्व रिकॉर्ड में रकबाराज दर्ज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने राज्य सरकार के आदेशों की पालना नही की और आवंटन आदेशों पर रोक के बावजूद, जानबूझकर 50 बीघा को स्मॉल पेच/मीडियम पेच में दिखाकर पटवारी सोनू सहारण की माता अप्रार्थी विमला देवी के नाम आवंटित की है। अप्रार्थी विमला देवी और उसके परिवार को आवटिंत भूमि की कोई जांच आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा की जानी प्रतीत नहीं होती है, जिससे यह पता चल सके की पटवारी सोनू सहारण की माता एवं उसके परिवार के पास कुल भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है अथवा नहीं?, इसलिए अप्रार्थी विमला देवी को आवंटित 45 बीघा भूमि रकबाराज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि पटवारी सोनू सहारण की माता अप्रार्थी विमला देवी के स्मॉल पेच के आवंटन हेतु आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठा लगा हुआ है, जिससे प्रतीत होता है कि अप्रार्थी विमला देवी अनपढ़ है और पटवारी सोनू सहारण ने अपनी माता के नाम [illegible] में 5 बीघा जमीन खरीद की और उसके पश्चात आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़, तहसीलदार, सूरतगढ़ एवं पटवारी, किशनपुरा के साथ मिलकर अपनी माता अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

विमला देवी के नाम लगभग 45 बीघा भूमि स्माल पेच/ मीडियम पेच के तहत आवंटन करवाई है। इसलिए उक्त आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़, तहसीलदार, सूरतगढ, पटवारी किशनपुरा एवं पटवारी सोनू सहारण के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर, पटवारी सोनू साहरण की माता अप्रार्थी विमला देवी को स्माल पेच/मीडियम पेच के तहत आवंटित भूमि को खारिज कर पुनः राजस्व रिकॅर्ड में दर्ज करने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया और राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने पटवारी सोनू की माता विमला देवी के नाम से राजस्थान उपनिवेशन (ई.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के विरूद्ध जाकर विभिन्न आदेशों द्वारा निम्न भूमि का आवंटन किया है :

प्रकरण संख्या 103/2024

पन्नादास पुत्र मोहनदास जाति स्वामी साकिन किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ द्वारा काशीराम वगै. ने धारा 21 उपनिवेशन अधिनियम 1975 के तहत आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2024 को पेश किया था जिस पर आवंटन अधिकारी, सूरतगढ ने अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 06.02.2024 को ही चक 1 केएसपीएम''ए'' तहसील सूरतगढ के प.नं. 11/4, किला नं. 17 ता 20/1.012 है. अ.क. भूमि बाद 1955 आवंटन को निरस्त किया जाकर, राजस्व रिकॉर्ड में आराजी राज अंकन किये जाने के आदेश दिये गये और दिनांक 27.02.2024 को पत्रावली संख्या 38/[illegible] उक्त 4 बीघा भूमि को विमला देवी को राजस्थान उपनिवेशन (ई.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14(1) के तहत आवंटित कर दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, सूरतगढ़ की मूल पत्रावली में अप्रार्थी विमला देवी का बिना दिनांक का अंगूठा लगा हुआ प्रार्थना पत्र संलग्न है। जिस पर राजस्व पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 23.02.2024 चैक लिस्ट पत्रावली में उपलब्ध है,जो मूल ही तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ दिनांक 26.02.2024 को उपखण्ड अधिकारी एवं आवटन अधिकारी, सूरतगढ़ को प्रेषित कर दी। उक्त चैक लिस्ट पर तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ द्वारा कोई जांच और टिप्पणी किया जाना अंकित नहीं है। उक्त राजस्व पटवारी, पटवार मण्डल, किशनपुरा और तहसीलदार, सूरतगढ़ की उक्त रिपोर्ट पर उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, सूरतगढ़ ने दिनांक 27.02.2024 को चक 1 के एसपीएमए तहसील सूरतगढ के खाता संख्या के प.नं. 11 / 4, किला नं. 17 ता 20 में 1.012 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी विमला देवी पत्नी सुखराम जाति जाट निवासी घमण्डिया के नाम स्माल पेच में आवंटित कर दी।

प्रकरण संख्या : 104 / 2024

अप्रार्थीया विमला देवी पत्नी सुखराम जाति जाट निवासी 6 जीएमडी तहसील सूरतगढ़ ने दिनांक 20.07.2023 को उप जिलाधीश आवंटन अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर राजस्व पटवारी, किशनपुरा ने दिनांक 31.07.2023 को स्माल पेच प्रकरण रिपोर्ट की गई जिसमें चिपते काश्तकारों की भूमि में मात्र विमला देवी द्वारा धारित भूमि का विवरण अंकित है, अन्य किसी भूमि का विवरण उक्त रिपोर्ट में अंकित नहीं है। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार (भू. अ.), सूरतगढ की रिपोर्ट / टिप्पणी पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं उक्त रिपोर्ट के आधार ही आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने दिनांक 02.08.2023 को चक 1 के. एस.पी.एम.ए. [illegible] र नम्बर 11 / 4 मु.न. 39 के किला नं. 25 / 0.253 है. अनक[illegible] को प्रार्थीया विमला देवी पत्नी सुखराम जाति जाट साकिन 6 जीएमडी घमण्डिया, तहसील सूरतगढ़ के नाम राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.) क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14(1) के तहत स्माल पेच में आवंटित कर दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या 101/2024 एवं 102/2024

अप्रार्थीया विमला देवी पत्नी सुखराम जाति जाट निवासी घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ने उप जिलाधीश आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष स्माल पेच में आवंटन हेतु **दो प्रार्थना पत्र – चक 1 केएसपीएमए के पत्थर नं. 11/5 कि.नं 1 ता 10, 12 ता 19, 24–25 में 5.060 हैक्टेयर एवं चक 1 केएसपीएमए के पत्थर नं. 231/61 कि.नं. 1ता 15–18 ता 22 में 5.060 हैक्टेयर अनकमाण्ड भूमि हेतु पेश किये जिन पर कोई दिनांक अंकित नहीं है और हस्ताक्षर के स्थान पर अप्रार्थीया विमला देवी के अंगूठा लगा हुआ है।** जिस पर राजस्व पटवारी, पटवार मण्डल किशनपुरा ने क्रमशः दिनांक 20.02.2024 एवं 21.02.2024 को रिपोर्ट कर दी। उक्त रिपोर्ट के पश्चात तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ की कोई रिपोर्ट/टिप्पणी पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने दिनांक 27.02.2024 को दो अलग–अलग आदेश पारित कर उक्त 50 बीघा राजकीय भूमि में से 10 बीघा भूमि को ग्रीन फिल्ड घोषित को छोडकर, शेष 40 बीघा भूमि को मीडियम पेच के तहत विमला देवी के नाम आवंटित कर दी, जबकि विमला देवी द्वारा स्माल पेच के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे और उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ ने दिनांक 27.02.2024 को मीडियम पेच में दर्ज दोनों प्रकरणों (41/2024 एवं 42/2024) में अलग अलग आदेश जारी कर लगभग 40 बीघा भूमि राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा. न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14(1) के तहत आवंटित की है, जबकि राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14(1) के तहत स्माल पेच की भूमि ही आवंटित की जा सकती है।

The Rajasthan Colonisation (Allotment and sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975 के नियम 14, 14ए और 14बी निम्नानुसार अवलोकनीय है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

14. Allotment of small patch : (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, small patch of Government land may be allotted, to a tenure **tenant whose trnure land adjoins such patch**, subject to the celing area at [half of the index pricie of the reserve price whichever in higher];

[Provided that if the tenant of the **adjoining land fails to apply** for the allotment of small patch, the Allotting Authority shall make arrangement for making allotment of such small patch to the tenure of the same chak or of the adjoining chak]

2. In case **more than one tenants** apply for the allotment of the same small patch, **allotment shall be made to the tenant of same murabba**]

....

14-A. Allotment of medium patch – (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, medium patch of Government land may be allotted **to a tenure tenant whose tenure land adjoins such medium patch, subject to the ceiling area** [Provided that if the tenant of the adjoining land fails to apply for the allotment of the medium patch, **the allotting authority may allot such medium patch to the tenure tenants of the same chak or the adjoining chak subject to the ceiling limit:**

Provided further that if **more than one tenant apply** for the allotment of the same medium patch, the allotment shall be made by sealed bid to the highest bidder subject to the ceiling limit]

14-B (1) Notwithstanding anything contained in these rules and subject to the specified or general direction of the Government, the allotting authority instead of ejecting a trespasser from the small and medium patch land occupied by adjacent tenant and allow him to retain possession of the whole or part of such land subject to the extent of the [illegible]rea applicable to the allottee under the Ra[illegible] Ceiling on Agricultural Holding Act, 1973(Rajasthan [illegible] of 1973)

Provided that **such tresp[illegible]ser has been in continuous possession of the trespassed land for five or more year upto 30.06.2004**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 22(3) प्रकरण संख्या 101/2024 से 104/2024

आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने प्रकरण संख्या 91/2023 में अप्रार्थी विमला देवी का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.07.2023 पेश करने पर, दिनांक 31.07.2023 से पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त की गई, जो मूल ही तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 02.08.2023 को उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को प्रेषित की गई और आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने दिनांक 02.08.2023 को ही चक 1 केएसपीएम''ए'' के पत्थर नं. 11/4 मु.नं. 39 के किला नं. 25/0.253 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि को राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14(1) के तहत अप्रार्थी विमला देवी को आवंटित की है।

इसी प्रकार आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने विभिन्न प्रकरणों से पटवारी सोनू सहारण की माता अप्रार्थी विमला देवी को आदेश दिनांक 27.02.2024 से निम्न भूमि आवंटित की है :

प्रकरण संख्या	**प्रार्थना पत्र दिनांक**	**पटवारी रिपोर्ट दिनांक**	**तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक**	**भूमि का विवरण**	**स्माल पेच/मीडियम पेच**
38/ 27.02.24	अंकित नहीं	23.02. 24	26.02.24 पटवारी द्वारा प्रस्तुत मूल मूल रिपोर्ट आवंटन अधिकारी को प्रेषित	चक 1 केपीएसएम ''6ए'' के पत्थर नं 11/4 कि.नं. 17 ता 20 में 1.012 है. अनकमाण्ड भूमि	स्माल पेच
41/ 27.02.24	अंकित नहीं	21.02. 24	26.02.24 पटवारी द्वारा प्रस्तुत मूल मूल रिपोर्ट आवंटन अधिकारी को प्रेषित	चक [illegible] एसमए ''[illegible] के [illegible] नं. 11/5 [illegible] 1 ता 10, 12 ता 19, 24–25 में 5.060 हैक्टेयर अनकमाण्ड भूमि	मीडियम पेच

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

41/ 27.02.24	अंकित नहीं	20.02. 24	पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।	चक 1 केपीएसमए''ए'' के पत्थर नं. 231/61 कि.नं. 1/1/0. 228है, 2 ता 9, 10/1/0.228है. ,11/2/0.228है, 12 ता 15, 18–19, 20/1/0.228 है., 21/1/0.228 है. तथा कि.नं.22 सहित कुल 4.935 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि	मीडियम पेच

इस प्रकार आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने दिनांक 27.02.2024 को निर्णय करते हुए चक 1 केएसपीएम''ए'' के पत्थर नं. 11/5 कि. नं. 1 ता 10, 12 ता 19, 24–25 में 5.060 हैक्टेयर अनकमाण्ड भूमि एवं केएसपीएम''ए'' के पत्थर नं. 231/61 कि.नं. 1/1/0.228है, 2 ता 9, 10/1/0. 228है.,11/2/0.228है, 12 ता 15, 18–19, 20/1/0.228 है., 21/1/0.228 है. तथा कि.नं.22 सहित कुल 4.935 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि को राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14(1) के तहत पटवारी सोनू सहारण की माता विमला देवी को आवंटित की है। दोनों प्रकरणों में अप्रार्थी विमला देवी द्वारा स्माल पेच के तहत, आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त दोनों ही प्रकरणों को आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने मीडियम पेच के तहत दर्ज किया है और राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14(1) तहत उक्त भूमि आवंटित की है जबकि नियम 14(1) स्माल पेच आवंटन से सम्बन्धित है, जिसमें 5 बीघा कमाण्ड और 10 बीघा अनकमाण्ड तक भूमि आवंटन का प्रावधान है। उक्त दोनो पत्थर नं.231/61 और 11/5 (मुरब्बा नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

47 व 48) की 50 बीघा रकबा राज उपलब्ध थी। इस प्रकार से दोनों चिपते हुए मुरब्बों में कुल 50 बीघा भूमि का बड़ा पेच उपलब्ध था। उपखण्ड अधिकारी द्वारा रकबा राज स्माल पेच एवं मीडियम पेच से अधिक होने के बावजूद नियम 14(1) (स्माल पेच) के तहत आवंटन किया गया है जबकि शासन के पत्र क्रमांक एफ3(28) राज/उप/85 दिनांक 15.01.1987 से सामान्य आवंटन पर रोक है।

तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा दो प्रकरणों में पटवारी द्वारा प्रस्तुत मूल रिपोर्ट ही, उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की गयी है और एक प्रकरण में तहसीलदार, सूरतगढ़ कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा आवेदक की भूमि से 50 बीघा रकबा राज भूमि से चिपता हुई होने, चक में अन्य काश्तकारों एवं अन्य रकबा राज भूमि का बिना जांच एवं बिना किसी प्रकार की टिप्पणी किए मूल रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की गयी **है। आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने पत्थर संख्या 231/61 और 11/5(मुरब्बा नं. 47 व 48) की 50 बीघा रकबा राज भूमि में से प्रत्येक मुरब्बा में 5—5 बीघा भूमि को ग्रीन फिल्ड घोषित कया गया** और 5—5 बीघा ग्रीन फिल्ड क्षेत्र घोषित करने के बाद भी भूमि रकबा राज ही थी, किन्तु आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने जानबूझकर प्रत्येक मुरब्बा में 5—5 बीघा भूमि को ग्रीन फिल्ड घोषित किया गया और प्रत्येक मुरब्बा की शेष 20—20 बीघा भूमि को अपने आदेश दिनांक 27.02.2024 से अप्रार्थी विमला देवी को मीडियम पेच के तहत आवंटित कर दी, जबकि **उप शासन सचिव, उपनिवेशन विभाग, राजस्थान, सरकार जयपुर के पत्र दिनांक 07.07.2000 के अनुसार शासन के पत्र क्रमांक एफ3(28)राज/उप/85 दिनांक 15.01.1987 के अनुसार इ.गा.न.प. क्षेत्र के प्रथम चरण में सम्मिलित भूमि होने के कारण, 50 बीघा भूमि आवंटित नहीं की जा सकती थी,** इसलिए आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने जानबूझकर उक्त 50 बीघा भूमि के प्रत्येक मुरब्बा में से 5—5 बीघा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कुल 10 बीघा भूमि को ग्रीन फिल्ड घोषित कर, **दिनांक 27.02.2024 को दो अलग अलग आदेश पारित कर, उक्त 50 बीघा भूमि में से 40 बीघा भूमि विमला देवी को आवंटित कर दी और शेष 10 बीघा भूमि ग्रीन फिल्ड घोषित भूमि, वर्तमान में राजरकबा ही है।**

आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक सूचना का नोटिस तथा विधिक प्रावधानों के तहत चक के काश्तकारों को सूचित किये जाने का कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त आवंटन अधिकारी के कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय में नोटिस चस्पा किए जाने संबंधी कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आवेदक और उसके परिवार के पास पूर्व में उपलब्ध कुल भूमि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और आवेदक और उसके परिवार के पास आवंटन के उपरान्त कुल भूमि सीलिंग सीमा के भीतर है अथवा नहीं, का कोई दस्तावेज/रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध नही है।

उक्त विवेचन के अनुसार आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने आवंटन नियमों की अनदेखी कर चक 1 केएसपीएम''ए'' के पत्थर नं. 11/4 मु. नं. 39 के किला नं. 25/0.253 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि, चक 1 केएसपीएम''ए'' के पत्थर नं 11/4 कि.नं. 17 ता 20 में 1.012 है. अनकमाण्ड भूमि, चक 1 केएसपीएम''ए'' के पत्थर नं. 11/5 कि.नं. 1 ता 10, 12 ता 19, 24–25 में 5.060 हैक्टेयर अनकमाण्ड भूमि एवं चक 1 केएसपीएम''ए'' के पत्थर नं. 231/61 कि.नं. 1/1/0.228है, 2 ता 9, 10/1/0.228है.,11/2/0.228है, 12 ता 15, 18–19, 20/1/0.228 है., 21/1/0.228 है. तथा कि.नं. 22 सहित कुल 4.935 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि को अप्रार्थी विमला देवी को राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14(1) के तहत आवंटित की है, खारिज कर पुनः रकबा [illegible] किये जाने योग्य प्रतीत होती हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी छगनलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने आवंटन नियमों की अनदेखी कर चक 1 केएसपीएम''ए'' के पत्थर नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

11/4 मु.नं. 39 के किला नं. 25/0.253 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि, चक 1 केएसपीएम''ए'' के पत्थर नं 11/4 कि.नं. 17 ता 20 में 1.012 है. अनकमाण्ड भूमि, चक 1 केएसपीएम''ए' के पत्थर नं. 11/5 कि.नं. 1 ता 10, 12 ता 19, 24–25 में 5.060 हैक्टेयर अनकमाण्ड भूमि एवं चक 1 केएसपीएम''ए'' के पत्थर नं. 231/61 कि.नं. 1/1/0.228है, 2 ता 9, 10/1/0.228है.,11/2/0.228है, 12 ता 15, 18–19, 20/1/0.228 है., 21/1/0.228 है. तथा कि.नं. 22 सहित कुल 4.935 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि को पुनः रकबा राज दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

चूंकि पटवारी सोनू सहारण ने आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़, तहसीलदार–सूरतगढ़, पटवारी–किशनुपरा के साथ मिलीभगत कर, नियमों की अनदेखी कर अपनी **माता विमला देवी के नाम लगभग 45 बीघा** भूमि स्माल पेच/मीडियम पेच के तहत आवंटित करवाई जाकर, राज्य सरकार को हानि पहुंचाने का प्रयास किया है। इसलिए इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी किये जाने योग्य है। प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा को आदेशित किया जाता है कि उक्त पटवारी सोनू सहारण, पटवारी–किशनपुरा, तहसीलदार, सूरतगढ़, उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के विरूद्ध, उक्त प्रकरण से सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई हो तो, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे तथा उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित कार्यवाही को इस प्रकरण से अलग रखा जावे।

आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ एवं तहसीलदार, सूरतगढ़ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्ति के 02 दिवस में उक्त समस्त भूमि रक़बाराज दर्ज कर, पालना रिपोर्ट से अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित करें। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी (स्थापना शाखा) को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे। [illegible]त्रावली में निर्णय की मूल प्रति रखी जावे। पत्रावली बाद त[illegible] को।

यह आदेश आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:20 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर